8/10/20

सूरतसिंह

रा. मेघ

रणवीर

पक्षकार

	वादीगण के प्रस्तुत पत्र पर पत्रावली पेश हुई। वादीगण की ओर से श्री [illegible] एडवोकेट एवं वादीगण की पैरवी मामा पेश किया एवं वादीगण की पहचान की। वादीगण ने पूर्व में पत्र के द्वारा निवेदन किया है कि वह आपसी वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। वे वाद वापस लेना चाहते हैं। वादीगण के प्रस्तुत पत्र को देखकर प्रार्थना पत्रावली किया जाता है। आपसी वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार होकर नस्ती की जाए। यह एकतरफा डिक्री मानी जाए।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:06:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner